राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर (राज.)

कमांकः प. 12(3)( )/राजस्व/2022/3958 दिनांकः 12,09.2022

प्रेषिति :–

संयुक्त शासन सचिव
राजस्व (ग्रुप–3)विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषयः– प्रार्थना पत्र **मैसर्स वण्डर सीमेंट लि.** बाबत प्रस्तावित रेल्वे लाईन बिछाने के लिये अनुमत की गई गै. मु. औरण (**Deemed Forest**) भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु वनपुर्नभरण **(Compensatory Aforestation)** के लिये राजकीय भूमि आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांकः प. 02(10) राज–3/2022 दिनांक 11.02.2022

—

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रकरण में राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर के प्रासंगिक पत्र से दिनांक 11.02.2022 **(परिशिष्ठ–ए)** से मै. व्रन्डर सीमेन्ट लि. की प्रस्तावित Large Scale Industry की परियोजना की स्थापना के लिये सीमेन्ट प्लान्ट, सार्वजनिक रास्ते एवं पहुंच सड़क तथा रेलवे लाईन बिछाने के लिये आवेदित की गई भूमि को औद्योगिक एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित/आवंटन करने एवं भूमि के उपयोग करने की अनुमति की स्वीकृति सशर्त जारी गई है। उक्त स्वीकृति के संलग्न परिशिष्ठ–सी (कंपनी को रेलवे लाईन बिछाने हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के संबंध में) में ग्राम लीला पारेवर के क. सं. 25 से 31 पर अंकित कुल 7 खसरा नम्बरों एवं ग्राम पारेवर के क.सं. 35 पर अंकित एक खसरा नम्बर में रेलवे लाईन में आने वाली ग्राम लीला पारेवर एवं पारेवर की प्रस्तावित भूमि कमशः 6.8854 एवं 0.4938 कुल 7.3792 हैक्टेयर गै. मु. औरण किस्म की आवेदित भूमि के संबध में **(परिशिष्ठ–सी में उल्लेखित शर्त सं. 2 के अध्यधीन)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में राजस्थान राज्य में वन भूमि के चिन्हिकरण के संबध में दायर की गई Interlocutory (I. A.) में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2018 में औरण भूमि को वन भूमि माने जाने के कारण उक्त आवेदित भूमि को वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत कंपनी स्वयं की भूमि एवं व्यय से निर्धारित प्रकिया का पालन कर भूमि के डायवर्सन की सक्षम स्तर से अनुज्ञा प्राप्त किये जाने की शर्त पर पर ही उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। प्रासंगिक राजकीय स्वीकृति की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में सीमेन्ट प्लान्ट, सार्वजनिक रास्ते एवं पहुंच सड़क तथा रेलवे लाईन बिछाने के लिये औद्योगिक एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित/आवंटन करने एवं गै.मु. भूमियों के उपयोग की अनुमति जारी करने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा आदेश दिनांक 24.03.2022 जारी किया गया, जिसकी प्रति **परिशिष्ठ–बी** संलग्न है।

प्रकरण में मै. वन्डर सीमेंट लि. ने उनके पत्र दिनांक 08.04.2022 से रेलवे लाईन के लिये उपयोग हेतु अनुमत की गई ग्राम लीला पारेवर एवं पारेवर तहसील जैसलमेर की कुल 7.3792 हैक्टेयर वन भूमि के पुर्नभरण हेतु इस कार्यालय के आदेश से ग्राम डाबला तह. जैसलमेर में आरक्षित भूमि में से ख. नं. 228 एवं 229 रकबा कमशः 4.4899 है. एवं 7.1111 हैक्टेयर भूमि कंपनी को कीमतन आवंटन करवाने का निवेदन किया गया,

जी.के.वर्मा
IFS
उप वन संरक्षक
जैसलमेर

(Rajendra Bora)
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project.

ताकि कंपनी द्वारा वन पुर्नभरण हेतु उक्त भूमि वन विभाग को निर्धारित प्रकिया के तहत उपलब्ध करवा सके **(परिशिष्ठ–सी)**।

प्रकरण में कंपनी के उपरोक्त पत्र के संदर्भ में तहसीलदार, जैसलमेर को कंपनी द्वारा आवेदित की गई भूमि के संबंध में निर्देशित किया गया कि प्रकरण में अभिलेखीय एवं मौके की जांच के उपरान्त भूमि आवंटन के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र एवं चैक लिस्ट में भिजवावें एवं इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि कंपनी द्वारा प्रस्तावित भूमि यदि किन्ही कारणों से क्षतिपूर्ति वनारोपण के लिये उपयुक्त नहीं होने की स्थिति में अन्य उपयुक्त भूमि का चयन उप वन सरंक्षक, जैसलमेर से समन्वय कर भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जावे। उप खण्ड अधिकारी, जैसलमेर को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत भूमि आवंटन के प्रस्ताव बाद परीक्षण स्पष्ट अनुशंसा के साथ भिजवाने के निर्देश भी दिये गये है।

प्रकरण में तहसीलदार, जैसलमेर के पत्र दिनांक 18.08.2022 से भूमि आवंटन के प्रस्ताव उप खण्ड अधिकारी, जैसलमेर को प्रेषित किये गये **(परिशिष्ठ–डी)**। उप खण्डाधिकारी ने इस कार्यालय के निर्देशों की पालना में मै. वन्डर सीमेंट लि. को प्रस्तावित रेलवे लाईन बिछाने के लिये अनुमत की गई ग्राम लीला पारेवर एवं ग्राम पारेवर तहसील जैसलमेर में 7.3792 हैक्टैयर गै. मु. औरण (Deemed Forest) भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु वनपुर्नभरण (Compensatory Aforestation) हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव का वन (संरक्षण) अधिनयम, 1980, वन सरंक्षण (नियम) 2003, भू राजस्व नियमों के प्रावधानों तथा राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गय परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरान्त वांछित सूचनाये/प्रतिवेदन तैयार कर पत्र दिनांक 24.08.2022 से अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किये गये है, जिसकी छाया प्रति **(परिशिष्ठ– ई)** संलग्न है।

प्रकरण में मै. वन्डर सीमेंट लि. को प्रस्तावित रेलवे लाईन बिछाने के लिये अनुमत की गई ग्राम लीला पारेवर एवं ग्राम पारेवर तहसील जैसलमेर में 7.3792 हैक्टैयर गै. मु. औरण (Deemed Forest) भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु वनपुर्नभरणं (Compensatory Aforestation) हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव का वन (संरक्षण) अधिनयम, 1980, वन सरंक्षण (नियम) 2003, भू राजस्व नियमों के प्रावधानों तथा राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गय परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरान्त वांछित सूचनाये/प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्न प्रकार से प्रेषित है :–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन सरंक्षण (नियम) 2003 के प्रावधानों की कियान्विति के लिये गाईड लाईन जारी की गई है। उक्त गाईड लाईन के अध्याय 1 के भाग 2. Compensatory Aforestation के तहत वन भूमि के बदले में भूमि देने के संबंध में जारी की गई गाईड लाईन की छाया प्रति **(परिशिष्ठ–एफ)** संलग्न है। उक्त गाईड लाईन के अनुसार C A के लिये प्रत्यावर्तन (Diversion) की जाने वाली वन भूमि के बदले में उपयुक्त एवं समतुल्य क्षेत्रफल की Non Forest Land दी जाना है तथा इसकी कोस्ट यूजर ऐजेन्सी द्वारा वहन की जाना है। इसके साथ ही यह भी निर्देश है कि जंहा तक संभव हो CA के लिये दी जाने वाली भूमि Reserve/Protected Forest से लगती हुई हो।

2. प्रकरण में तहसीलदार, जैसलमेर एवं उप वन संरक्षक, जैसलमेर के पत्र दिनांक 23.06.2022 **(परिशिष्ठ–जी)** के अनुसार ग्राम लीला पारेवर एवं पारेवर की 7.3792 हैक्टेयर वन भूमि के पुर्नभरण हेतु मै. वन्डर सीमेन्ट लि. द्वारा आवेदित भूमि ग्राम डाबला तह. जैसलमेर में आरक्षित भूमि की मौके पर करवाई गई सर्वे के अनुसार उक्त खसरा की भूमि में कुछ अतिकमण पाया गया है, अतः उक्त भूमि वन विभाग के लिये उपयुक्त नहीं है। उपवन संरक्षक, जैसलमेर ने प्रकरण में उक्त भूमि के स्थान पर ग्राम मोकला तहसील जैसलमेर के ख. नं.

जी.के. वर्मा
IFS
उप वन संरक्षक
जैसलमेर

(Rajendra Bora)
Genaral Manager (Mine
Wonder Cement Limit
Jaisalmer Project

561/765 एवं 286 में वन पुर्नभरण हेतु आरक्षित/आवंटन करना प्रस्तावित की गई, जिसके संबंध में तहसीलदार, जैसलमेर से प्रस्ताव अपेक्षित किये गये।

3. प्रकरण में ग्राम मोकला तहसील जैसलमेर में वन विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध में तहसीलदार, जैसलमेर के प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम मोकला ख. नं. 561/765 रकबा 6.4720 हैक्टेयर भूमि वन विभाग की चारदिवारी में आई हुई है एवं इस भूमि पर वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया हुआ है। उपरोक्त खसरे की भूमि से लगती हुई सड़क मोकला–सुलताना ख. नं. 754/493 किस्म गै. मु. सड़क (चौड़ाई 30 मीटर) सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, किन्तु मौके पर सड़क का निर्माण ग्रेफ द्वारा भारत माला सड़क योजना के तहत करवाया गयाा है, एवं यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 68 का भाग है। इण्डियन रोड़ कांग्रेस के नियमों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के केन्द्र बिन्दु से 75 मीटर की परिधि में आने वाली भूमि को छोड़कर ही शेष भूमि का आवंटन किया जा सकता है, इस कारण से इस खसरे की संपूर्ण भूमि के आवंटन में अड़चन है। उपरोक्त के अलावा प्रकरण में प्रस्तावित भूमि ग्राम मोकला के ख. नं. 286 की भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खनिज संभावित क्षेत्र दर्ज है, जो के नियमों के तहत आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. प्रकरण में तहसीलदार, जैसलमेर ने उपरोक्त स्थिति के अनुसार वन विभाग के द्वारा ग्राम मोकला में प्रस्तावित खसरा नम्बरों की भूमि में वन पुर्नभरण हेतु 7.3792 हैक्टेयर भूमि आवंटन के लिये नियमों के तहत उपलब्ध नहीं होने से इस कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अन्य उपयुक्त भूमि का चयन उप वन संरक्षक, जैसलमेर से समन्वय कर किया गया। इस संबंध में उपवन संरक्षक, जैसलमेर के पत्र दिनांक 08.08.2022 **(परिशिष्ठ–एच)** से ग्राम पारेवर तहसील जैसलमेर के ख.नं. 2529 रकबा 22.1666 हैक्टेयर किस्म बंजड राजकीय भूमि के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि उक्त खसरे की 7.3800 हैक्टयेर भूमि को यदि वन भूमि के पुर्नभरण हेतु आरिक्षत की जाती है, तो अति उत्तम होगा तथा यदि इस प्रकरण में वन भूमि पुर्नभरण हेतु मै. वण्डर सीमेंट लि. को भूमि आवंटन की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के संबंध में अभिलेखीय एवं मौका जांच के उपरान्त भूमि आवंटन के प्रस्ताव तहसीलदार, जैसलमेर के द्वारा प्रस्तुत किये गये है।

5. प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, जैसलमेर ने ग्राम लीला पारेवर एवं पारेवर में 7.3792 हैक्टैयर गै. मु. औरण (Deemed Forest) भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु एवं वनपुर्नभरण (Compensatory Aforestation) हेतुं ग्राम पारेवर तहसील जैसलमेर के ख. नं. 2529 रकबा 22.1666 हैक्टेयर किस्म बंजड़ राजकीय भूमि में से 7.3800 हैक्टेयर भूमि आरक्षित/आवंटन करने हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र 29 बिन्दुओं की नवीनतम चैक लिस्ट एवं 12 बिन्दुओ की जांच हेतु निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जाकर मय जमाबंदी, खसरा प्लान, मौका रिपोर्ट एवं साईट प्लान के संलग्न प्रस्तुत है।

6. प्रकरण में प्रस्तावित भूमि माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुलरहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय से प्रभावित नहीं है एवं प्रस्तावित भूमि पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/कंपनी को आवंटित नहीं है एवं इसके आवंटन की मांग भी नहीं की गई एवं उपरोक्त भूमि अन्य किसी को आवंटन करने के संबंध में भी कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रस्तावित भूमि का आरंक्षण/आवंटन वन भूमि की क्षतिपूर्ति एवं वनपुर्नभरण के लिये करने में अड़चन नहीं है।

जी.के. वर्मा
IFS
उप वन संरक्षक
जैसलमेर

(Rajendra Bora)
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

7. प्रकरण में प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के केन्द्र बिन्दु से लगभग 2.00 कि.मी., जिला सड़क के केन्द्र बिन्दु से 3.00 कि.मी., ग्राम पारेवर की आबादी भूमि से 5.00 कि.मी., रक्षा विभाग की भूमि से 80 कि.मी. एवं डी.एन.पी. की अधिसूचित सीमा से 55 कि.मी. की दूरी पर है।

8. प्रकरण में Compensatory Aforestation के लिये प्रस्तावित भूमि ग्राम पारेवर के ख. नं. 2529 में 7.3800 हैक्टैयर मौके पर खाली है एवं उपरोक्त प्रस्तावित भूमि से लगते हुए खसरा नम्बर 2530, 2513, 2514 एवं 2515 की भूमि राजस्व रेकर्ड में वन विभाग के नाम पर दर्ज है एवं इन खसरा नम्बरो की भूमि पर वन विभाग का कब्जा है। उक्त प्रस्तावित भूमि को वन भूमि के पुर्नभरण Compensatory Aforestation हेतु आरक्षित करने एवं वन पुर्नभरण हेतु मै. वण्डर सीमेंट लि. को आवंटन करने में आपत्ति नहीं होना उप वन संरक्षक, जैसलमेर के पत्र दिनांक 08.08.2022 से प्रतिवेदित किया गया है **(परिशिष्ठ–एच)**।

प्रकरण में उपरोक्तानुसार भूमि आवंटन के प्रस्ताव मय निर्धारित 29 बिन्दुओं की चैक लिस्ट, 12 बिन्दुओं की जांच के लिये निर्धारित प्रपत्र, प्रस्तावित भूमि के खसरा नम्बर की जमाबंदी, खसरा प्लान, साईट प्लान एवं मौका रिपोर्ट की प्रतियों के साथ प्रस्तुत कर प्रकरण में ग्राम पारेवर तहसील जैसलमेर के ख. नं. 2529 रकबा 22.1666 हैक्टेयर किस्म बंजड़ राजकीय में से प्रस्तावित 7.3800 हैक्टेयर भूमि को राजकीय स्वीकृति से वन पुर्नभरण हेतु आरक्षित करने एवं यूजर ऐजन्सी मै. वण्डर सीमेन्ट लि. द्वारा उक्त भूमि कीमत एवं Compensatory Aforestation का व्यय राजकोष में जमा करवाने एवं अन्य शर्तें जो राजस्व विभाग निर्धारित की जावे की पालना करने के उपरान्त प्रस्तावित भूमि वन विभाग को Compensatory Aforestation के लिये हस्तान्तरित/आवटन करने की नियमानुसार परीक्षणोपरांत स्वीकृति जारी करवाने की कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।

संलग्न उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर,
जैसलमेर
दिनांक 12.09.2022

कमांक/राजस्व/2022/3959-3963
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, जैसलमेर।
3. उप वन संरक्षक (DDP), जैसलमेर
4. मै. वन्डर सिमेन्ट लि., स्थानीय कार्यालय ट्रासंपोर्ट चौराहा, IOC पेट्रोलपम्प के सामने जैसलमेर।

(Rajendra Bora)
Genaral Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

जी.के. वर्मा
IFS
उप वन संरक्षक
जैसलमेर

12/9/22
(दाताराम)
प्रभारी अधिकारी(राजस्व),
(ए.डी.एम.)जैसलमेर